

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास नमित मेहता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 22/18 उपनिवेशनविविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु

—प्रार्थी

: ब न अ म :

मोहरसिंह पुत्र हीराराम जाट सा. नरवासी तह. राजगढ़ जिला चुरु

—अप्रार्थी

उपस्थिति:—

1. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।
2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विजय भादाणी।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 023.02.2021

1. प्रार्थी स्टेट उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं.3 मु. बज्जु की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.12 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी श्री मोहरसिंह पुत्र हीराराम जाट सा. नरवासी तह. राजगढ़ जिला चुरु को अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.07 को उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 चक 1 एमडबल्यूएम में मुरब्बा नं. 177/51 की 20.08 बीघा कमाण्ड व 3.17 अनकमाण्ड भूमि का नियम विरुद्ध आवंटन किया गया जिसे निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली मंगवाई गयी। उभयपक्ष की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।
3. स्टेट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम,1975 के अंतर्गत उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 1 एमडबल्यूएम में मुरब्बा नं. 177/51 की 20.08 बीघा कमाण्ड व 3.17 अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई थी। विनिमय समिति की अनुशांषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है। आवंटन पत्रावली में उपलब्ध आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया पूरी किये बिना और आवंटन पर्ची में हेराफेरी के द्वारा आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को नियम विरुद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है जिसके आवेदन पर आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा सक्षम पात्र मानते हुए आवंटन किया गया। आवंटित भूमि 50 प्रतिशत से अधिक नाकाबिले काशत होने के कारण विनिमय में दिनांक 04.06.07 को कोलायत नं. 3 के चक 1 एमडबल्यूएम के मु.नं. 177/51 की 20.08 बीघा कमाण्ड व 3.17 अनकमाण्ड भूमि कुल 24.05 बीघा भूमि आवंटित की गयी। खातेदार बनते ही प्रकरण आरटी एक्ट में आ जायेगा आवंटन नियम लागू नहीं होंगे। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के पर्ची पर हस्ताक्षर का नियमों में प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कितने जमा करवाई जा चुकी है और कब्जा दिया जा चुका है। आवंटन प्रक्रिया में दोषी के लिए अप्रार्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने 2002 एबीज पेज नं. 193, 1978 आरआरडी पेज नं. 604 2016 आरआरडी पेज नं. 353 व 2001 आरआरडी पेज नं. 127 पैरा सं. 5 के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र पत्र प्रार्थी नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 खारिज फरमाया जावे।
5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी स्टेट द्वारा आवंटन खारिज किये जाने के संबंध में उठाये गये बिन्दू प्रक्रियात्मक कमियों के संबंध में है जैसे आवंटन पर्ची पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर न होना तथा विनिमय समिति की अनुशंसा की कार्यवाही विवरण पत्रावली में लगा नहीं होना। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को विनिमय में किए गए आवंटन को खारिज करने के संबंध में है न कि मूल आवंटन आदेश को। ऐसी स्थिति में यदि केवल विनिमय में किए गये आवंटन आदेश को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी जिसको भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex-Serviceman) कोटे में जमीन आवंटित हुई थी, उसकी मूल आवंटन की क्या स्थिति रहेगी, यह भी विचारणीय है। यह प्रार्थना पत्र प्रक्रियात्मक कमियों के आधार पर आवंटन खारिज करने के लिए लगाया गया था परन्तु प्रक्रियात्मक कमियां रखने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता है। बावजूद इसके पत्रावली पर आवंटन में प्रक्रियात्मक कमियां जैसे विनिमय समिति की बैठक आयोजित होने का प्रमाण नहीं होना व आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होना, स्पष्ट है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में राज्य हित का ध्यान रखते हुए राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में अप्रार्थी को किए गये भू - आवंटन में नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में आवंटन की विस्तृत जांच किया जाना न्यायेचित प्रतीत होता है।
6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी श्री मोहरसिंह पुत्र हीराराम जाट सा. नरवासी तह. राजगढ़ जिला चुरू को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इगानप, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.2007 को कोलायत नं. 3 चक 1 एमडबल्यूएम में मुरब्बा नं. 177/51 की 20.08 बीघा कमाण्ड भूमि व 3.17 अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य /सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में आवंटन/विनिमय से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों एवं आवंटन पत्रावलियों की विधिवत विस्तृत जांच कर 3 माह में न्यायोचित एवं आवंटन नियमानुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ कार्यालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.02.2021 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नमित मेहता)
जिला कलेक्टर, बीकानेर
जिला कलेक्टर, बीकानेर